

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुम-2)विभाग

क्रमांक:पं 4(1)चिस्वा/2/2023/एन-286

जयपुर, दिनांक:

निदेशक(जन स्वा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0जयपुर।

विषय- डॉ निधी सक्सैना(जन्मतिथी 10.08.1960) तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, शहरी प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शोपिंग सेंटर, कोटा को विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।  
संदर्भ-आपका डायरी क्रमांक 1110 दिनांक 15.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित डायरी क्रमांक 1110 दिनांक 15.12.2022के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि डॉ निधी सक्सैना(जन्मतिथी 10.08.1960) तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, शहरी प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शोपिंग सेंटर, कोटा जो दिनांक 31.08.2022 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के विरुद्ध आज तक-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1968 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
  - 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1968 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
  - 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- डॉ सक्सैना के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(निमिषा गुप्ता)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा,।
- 3- डॉ निधी सक्सैना(जन्मतिथी 10.08.1960) तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, शहरी प्रथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शोपिंग सेंटर, कोटा द्वारा निदेशक(जन स्वा)।
- 4- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
- 5- कम्प्यूटर सैल/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Nimsha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.03.12 18:18:10 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3205836

